संख्या–150/एक–10–2022–33(2)/2021

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर एवं मुजफ्फरनगर ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 07 अप्रैल, 2022

विषयः–**वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के व्ययों को वहन करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त जनपदों के जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरणों के व्ययों को वहन करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–**2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–07–जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)** में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत **रू0 5,17,000/–(रूपये पांच लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि, निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन** नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्रमांक	जनपद का नाम	धनराशि (लाख रू0 में)
1	गोरखपुर	2.00
2	मुजफ्फरनगर	3.17
	योग	**5.17**
(रूपये पांच लाख सत्रह हजार मात्र)		

(1) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 के नियम–209 तथा चैप्टर–1 के संलग्नक–ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(3) उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि का व्यय जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के व्ययों यथा Emergency Operation Centre (EOC) के सुचारू संचालन, प्राधिकरण के टेलीफोन, स्टेशनरी एवं अन्य उपयोगार्थ सामग्रियों आदि के व्ययों हेतु किया जायेगा।

(4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–यू0ओ0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत

धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

2– उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–**2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800– अन्य व्यय–07–जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
अ सचिव।

संख्या–150 (1)/एक–10–2022–33(2)/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार–(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2–अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
3–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
4–सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5–वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6–सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7–वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
8–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-07/04/2022

प्रेषण संख्या:- 150
आवंटन आदेश संख्या:- 001-150
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	317000 317000	317000 317000
2	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000 200000	200000 200000
	योग	वर्तमान प्रगामी	517000 517000	517000 517000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच लाख सत्रह हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच लाख सत्रह हजार

7/4/2022

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।